

# स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रति वर्ष पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को खाद्य नियामक एफएसएमआई को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने देशभर में स्ट्रीट फूड हब बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नड्डा ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से लगभग 1,350 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ब्यूरो